



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भरत सरकर, राज्य प्रसरण एवढ नररीय स्टेट बैंक न संकुन उपकरण)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

प्रतु,
श्री वलड कुडर डटेल,
अधलकरी वर्ग ।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

डत्र क./क्षे.क./सा.प्र./ 1475 / 2022-23
दलनलंक : 15.03.2023

डहोदड,

नई नलडुकुत - अधलकरी वर्ग । डद डर डदस्थी

प्रधान कलरलड डत्र कडलंक CRGB/HO/Staff/2103/2022-23 दलनलंक 13 / 03 / 2023

उडरुकुत संदरुड डें डह नलरुण ललड गडल है कल आडकी डदस्थलडनल आगलडी आदेश तक असुथलई रुड से डुरशलकुषण हेतु हडलरी शाखल खरसलडल डें दुवलरीड अधलकरी के डद डर की ऑलवे। आड ततुकलल शाखल खरसलडल डें उडस्थलत हुकर शाखल डुरडंधक, खरसलडल कु अडनी उडस्थलतल देवें। आड वहां शाखल डुरडंधक, शाखल- खरसलडल के नलरुदेशलधीन कलरु कलरेंगें। शाखल डुरडंधक, खरसलडल के नलरुदेशलधीन डरलवीकुषल अवधल डें आडके कलरु कल हडलरे दुवलरल नलकट अनुवतुन डें रखकर सततु डूलुडलंकन कलडल ऑलवेगल, ऑलसकी डलसलक आधलर डर सडीकुषल की ऑलवेगी। दैनलक रुड से सडुडलदलत कलडे ऑलने वलले कलरु की दैनलक दैनंदलनी (DAILY DIARY) बनलनल सुनलशलकुत करें।

डवदीड


क्षेत्रीय डुरडंधक

क्षेत्रीय कलरलड : तृतीय तल, डल डगवती शुडल आर्केड कलडुडलेक्स, शुडल डेटुल डुड के सडीड, ठीडरलडुर रलड, रलडगढ़ (छ.ग.) - 496001

Regional Office : 3rd Floor, Maa Bhagwati Shyam Arcade Complex, Near Shyam Petrol Pump, Dhimrapur Road, Raigarh (C.G.) 496001

Telephone No. : 6232032891 | Toll free : 1800-233-2300 | Email : adm.ro.rag@cgbank.in | Web : www.cgbank.in



छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

(भारत सरकार, राज्य शासन एवं भारतीय स्टेट बैंक का संयुक्त उपक्रम)

CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK

(Joint Venture of Govt. of India, State Govt. & State Bank of India)

1411003037
VIMAL KUMAR PATEL
RAJKUMAR PATEL

CRGB/HO/STAFF/2103/2022-23
Date : 13/03/2023

महोदय/महोदया,

अधिकारी वर्ग 01 पद पर पदस्थी (CRP RRB-XI)

अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि आपका चयन हमारे बैंक में अधिकारी वर्ग 01 पद किया गया है, इस संबंध में हमारे पत्र क्रमांक CRGB/HO/Staff/1931/2022-23 दिनांक 02/02/2023 के संदर्भ में आपके दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात, हमारे द्वारा प्रेषित ईमेल के माध्यम से आपको दिनांक 13/03/2023 से 14/03/2023 तक प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया है, अगामी प्रक्रिया में आपकी पदस्थापना अधिकारी वर्ग 01 पद पर हमारे क्षेत्रीय कार्यालय - RAIGARH के अन्तर्गत अगली पदस्थी (On Probation) हेतु निम्न नियमों के तहत की जाती है -

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम, 2013 के नियमों एवं शर्तों एवं अन्य प्रचलित नीतियों/अनुदेशों के अधीन आप सेवारत होंगे।
2. बैंक में आपकी सेवा दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन होगी जिसे अधिकतम एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा सकेगी।
3. कृपया नोट करें कि इस भर्ती/नियुक्ति प्रक्रिया के संदर्भ में सक्षम एजेंसी द्वारा यदि कोई जांच की जाती है एवं उसके प्रतिवेदन के अनुसार यदि आपके विरुद्ध कोई विपरीत तथ्य पाये जाते हैं, तो बैंक को आपके विरुद्ध किसी भी समय समुचित कार्यवाही का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसमें सेवा से पृथक/नियुक्ति निरस्त करना भी शामिल है।
4. प्रशिक्षण तिथि से ही बैंक में आपकी सेवा प्रारंभ मानी जायेगी।
5. अतः आप अगली पदस्थी आदेश प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात अगले कार्यदिवस को क्षेत्रीय कार्यालय - RAIGARH में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।

क्षेत्रीय कार्यालय का पता निम्नानुसार है :-

Chhattisgarh Rajya Gramin Bank

Regional Office,

3rd floor, Maa Bhagwati Shyam arcade Complex, Near Shyam Petrol Pump, Near Shyam Petrol pump,

Dimrapur Road, Raigarh - C.G.

496001

आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ...

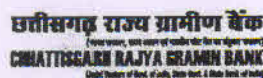
भवदीय,

अध्यक्ष

प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492013

Head Office - Mahadeoghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) - 492013

Phone No. - +917714388804 | Toll Free - 1800-233-2300 | Email - cms.ho@cgbank.in | Website - www.cgbank.in



1411003037
VIMAL KUMAR PATEL
C/O RAJKUMAR PATEL
584 METUPARA. AT POST SAPOS
BLOCK DABHARA
JANJIR CHAMPA
CHHATTISGARH, 495692

पत्र क्रमांक : CRGB/HO/STAFF/1991/2022-23
दिनांक : 02/02/2023
SR-28

SPEED POST

महोदय/महोदया,

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में "अधिकारी वर्ग-1" पद पर Provisional जून CRP RRB-XI

आपसे सुचित करते हुए हमें यह है कि अधिकांश वर्ग-1 एवं हेतु IBPS CRP RRB-XI के माध्यम से आयोजित किये गये तात्कालिक के पदों पर प्रत्यापी के रूप में आपका अनतिम (PROVISIONAL) चयन किया गया है। केवल में आपकी यह नियुक्ति अनतिम (PROVISIONAL) है, जो निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के अधीन प्रथम प्रत्यापी के नियोजन के लिए है।

- 1) जैनधर्म धर्म-1 का पुराहित/संयमन वेतनमान ₹ 96000-1490/7-46430-1740/2-43910-1990/7-7-65840 होना, एवं संवेत अतिरिक्त नियमनगत इन्सॉरेंस का, इत फिक्सा भत्ता तथा अन्य वेतन देते होंगे।
- 2) अगस्त अक्टूबरकाल राधा कृष्ण के अतिरिक्त अन्य अतिरिक्त वेतन विनियम, 2015 के नियमों एवं शर्तों एवं अन्य प्रयोजित नियमों/अनुसूचियों का पालन करते हुये करवाये का निर्देश करण होगा।
- 3) उक्त विनियम के अनुसार आगस्ते नियुक्ति विधि पर कार्य-समय संतोषी/अन्य संबंधित कोषण करण होगा।
- 4) आगस्ते के वेतनविधे देते समय संवेतन बोर्ड का निर्देशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करण होगा (प्रारंभ संवेतन) जिससे बोर्ड के सभी सदस्यों के इच्छाकार, सौत (गाम) विधि एवं Landline-Telephone नो. देना अनिवार्य है।
- 5) रोजगार योग्यता (आका इच्छा) से संबंधी सरासरी प्रमाण-पत्र, समान अतिरिक्त द्वारा नहीं रखनी निम्न प्रमाण-पत्र, जति प्रमाण-पत्र एवं अनुप्राप्त प्रमाण पत्र के मूल प्रतियों/समकाल से अनुप्राप्त करण होंगे। इन प्रमाण पत्रों (10वीं, 12वीं एवं प्रमाणिक शिक्षा) की वे-वे जांच प्रमाणपत्र (अनुप्राप्त अतिरिक्त से प्राप्त) की वे-वे जांच एवं समकाल प्रमाणपत्रों में होकर बोर्ड की वर्या से जांच प्रमाणपत्र, कार्यकारी को प्रेषित किया जा सके। दूधपूर संविधान/वे.सी.ई.इ.प्रमाण-पत्र, उम्मीदवार को संबंधित दूध प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करण होगा।
- 6) जति प्रमाण-पत्र की माहाराट्टा नागत जतिगत राज्य तथा/अथ धार्मिक संहिता के प्रमाणिकरण के अनिवार्य है, जिससे अनपत्र वे वे नियुक्ति दे नाही जायेगी।
- 7) वे अलग-अलग (अनपत्र) अधिकांश/विचारकर/सोच कर अपी पासके वेदों सहायक प्रमाण करित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करण होंगे।
- 8) ईक में अगस्त सेवा को वर्ष की अवधि के लिये परीक्षायोग्य होंगे जिते एवं वर्ष में अनपत्र की अवधि के लिये बाकी जा सकेगी।
- 9) सेच का (राष्ट्रीयकरण/परिधीत अवधि में पुनः अनपत्र सेवा नियुक्ति/सेवा युक्ति आगस्ते कार्य दूधराता/कार्य निष्पादन/अन्य प्रकार प्रमाण-पत्र/पुनः सहायक अधिकार पर निर्भर करेगा।
- 10) सेच में नियमितकरण जति प्रमाण-पत्र/पुनः प्रमाण से प्रमाण अनपत्र संबंधी संगोपनक तिरोह के लिये अवेस्टेशन कार्य प्रमाण होने के अनिवार्य है। दर दरवासी ईक स्तर पर की सकेगी। इस हेतु संवेतन प्रमाण में आगस्ते तथा विधित्त प्रमाण प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करण होंगे।

-2-



प्रधान कार्यालय - महादेव घाट रोड, सुन्दर नगर, रायपुर (जगसिख) - 492013
Head Office - Mahadevghat Road, Sunder Nagar, Raipur (C.G.) - 492013
Phone No. - +917714388804 | Toll Free - 1800-233-2300 | Email - oms.hoff@cgbank.in | Website - www.cgbank.in

-2-

- 2-
- 1) **मुद्रा निधि हेतु ₹ 70,000/-** (र सत्तर हजार मात्र) छातीसङ्ग राज्य ग्राम्य बैंक के पत्र में *(A/c of candidate)* सहायता के रूप में प्रेषित हो या तो बैंक में भुगतान के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाये। छाता योजने हेतु छात्रों को **कारण पत्र ID Proof एवं Address Proof** भी प्रस्तुत करना होगा। सेवा में स्वीकारण के बाद यह प्रति कार्यालय भेजी जायेगी।
 - 2) **परीक्षा अंशक के दौरान सेवा प्राप्त करने** अथवा सेवा से बाहर निकले जाने की दशा में **मुद्रा निधि** पत्र की जायेगी। इसके अतिरिक्त सेवापुस्तक पर किये गये प्रक्षिप्त नाम/पता की वसुली की जा सकती है। इसके अतिरिक्त मूल प्रमाण पत्रों पर सेवा लगाने की दिवसीय दरों की जा सकती है।
 - 3) **वास्तविक जीवन के क्षेत्र** का छोटा प्रस्तुत कर (परीक्षा/समावेश्य क्षेत्र के समान की छोटी से विभागा हो तो, उनकी पूरा करने की प्रशिक्षण की प्रस्तुत करी)।
 - 4) **छात्रावास राज्य ग्रामीण बैंक सेवा** के अतिरिक्त **आवृत्त परस्परता** किसी भी शाखा/स्वायत्त में बैंक के निष्पादनासी) की जा सकती है।
 - 5) **कोई भी अधिकारी किसी क्षेत्रों** या अपने कार्य में रखने या त्याग देने के अपने द्वारा के हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया की प्रक्रिया के दौरान शिष्टता का पत्र एक मनेने की वसुली हेतु नोटिफाई देने किताब में अन्तर्नी नीति को लागू करेगा। किसी अधिकारी द्वारा के प्रमाण के पत्र के माध्यम में, उसे बैंक को बहिष्कृत के रूप में बहिष्कृत नोटिफाई की जायेगी के दौरान पत्र के बजाय एकत्र का भुगतान करना होगा। प्रक्रिया के पत्रगत ऐसा होने पर तीन माह की नोटिफाई/तलाक का प्रकाश अतिरिक्त जायेगी।
 - 6) **जब यह सहायता में किसी संस्था/विभाग में कार्यरत है, तो उस संस्था से त्याग पत्र देकर बैंक में व्याज कर संबंधी शाखा/विभाग का अनुमति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा** एवं यदि प्राप्त करने में नहीं है तो आगामी पुनर्वर्तमान संबंधी जायेगी। व्याजिनि के अतिरिक्त किसी भी संस्था का पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
 - 7) **पर की पत्रगत हेतु आगामी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र (यदि नहीं पत्रगत की है यदि आवश्यक है यदि आवश्यक है यदि जारी है तो आप सेवा के दिने जारी है। यदि आप नहीं जायेगी।** एकतरफा अपने रिश्ता के विभाग कार्यरत की को जायेगी, विभिन्न से तो एकतरफा की जायेगी है। इन माह में प्रक्रिया प्रक्रिया के संचालन में समान एकाग्रता द्वारा यदि नहीं जायेगी यदि जारी है एवं अपने प्रक्रिया के अनुसार यदि आपके रिश्ता के विभाग नहीं जायेगी तो, बैंक के आगामी रिश्ता किसी भी समान एकाग्रता कार्यरत की अतिरिक्त सुपरीक्षा क्षेत्र, विभिन्न से तो एकतरफा की जायेगी है।
 - 8) **किश्तियाँ** **व्यक्तिगत** **मुद्रा निधि** **है** **पर** **सहायता** **के** **लिए** **में** **अतिरिक्त** **जायगी** **एवं** **समान** **(मूलभूत)** **में** **प्रस्तुत** **करे** **हो** **संबंधित** **प्रमाण-पत्र** **किसी** **द्वारा** **पर** **सहायता** **के** **लिए** **प्रमाण/प्रमाणिका** **है।**
 - 9) **बैंक में आगामी व्याजिनि के समान** **Biometric** **या** **एक** **Local Language Proficiency** **की** **भी** **जाय** **कराया** **जायेगी।**

[illegible]